21.6.19 अभिभाषकगण उपस्थित। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है।/अन्य कार्य/चुनाव कार्य मे व्यस्त है पत्रावाली दिनांक...28.6.19..... को वास्ते पूर्वानुसार ....पेश हो।

28.6.19 पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। राज्यकोकार व अभिभाषकगण उपस्थित। कार्य अधिकता होने से निर्णय नहीं सुनाया जा सका है पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 1.7.2019 को पेश हो।

1.7.19

पत्रावली पेश हुई। अर्जी तहसीलदार हनुमानगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है, विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर सुनाया जाकर शामिल रहेगा। T.D.C. HMH को निर्णय की एक प्रति पालनार्थ प्रेषित की जावे। अभिभाषकगण को भी सूचित किया जाकर पत्रावली निर्णय मुकम्मल होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

2

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)हनुमानगढ।

नाम पीठासीन अधिकारीः—कपिल कुमार,यादव(आर ए एस)
राजस्व वाद संख्या :—123/2019

तहसीलदार(राजस्व) तहसील हनुमानगढ ।

———वादी।

बनाम

1. दीनदयाल 2. राधेश्याम 3. सत्यदेव 4. बलराम पि. स्व. श्योप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी मक्कासर तहसील हनुमानगढ।

————प्रतिवादीगण।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 86 राज.काश्तकारी अधि.

उपस्थितः—
1.राजपैरोकार
2.प्रतिवादीगण 1 ता 4:—स्वयं

दिनांकः—01.07.2019

निर्णय

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ ने शिकायत प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर मौका जांच करने पर पाया कि चक 3 एस टी जी के मु.न. 23 पत्थर नम्बर 100/267 किला नम्बर 11 में टाली का पेड़ व किला नम्बर 19 में एक खेजड़ी का पेड़ लगा हुआ था तथा मौका पर दोनो पेड़ कटे हुऐ थे। टाली के पेड़ की मौका पर टहनिया व पत्ते थे उक्त पेड़ बिना किसी अनुमति के काटे गये थे। चक 3 एस टी जीं खाता संख्या 81/75 पत्थर नम्बर 100/267 मु.न. 23 किला नम्बर 9 ता 12 व 13/1 से 14/1, 17 ता 20 पत्थर नम्बर 102/268 मु.न. 30 किला नम्बर 17 ता 19, 22 ता 24 पत्थर नम्बर 102/269 मु.न. 35 किला नम्बर 2 ता 4 कुल 4.681 हैक्टर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में श्योप्रसाद पुत्र मनसाराम जाति ब्राहम्ण निवासी मक्कासर के नाम से दर्ज है। श्योप्रसाद की मृत्यु हो चुकी है तथा प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण उक्त आराजी को काश्त करते है तथा इन्ही के द्वारा पेड़/वृक्ष काटे गये है। मौका पर पेड़ जप्त कर बहक सरकार लिया जाकर श्री हंसराज पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी मक्कासर को सुपुर्दगी में दिये गये आदि। तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ द्वारा प्रकरण 86 आर टी ए में दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर होने पर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया। उक्त चारो प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण दिनांक 17.6.2019 को स्वयं उपस्थित आकर जवाब मय शपथ पत्र पेश किया कि हमारे खेत में एक खेजड़ी का पुराना पेड़ लगा हुआ था जो गत दिनो आई आंधी के कारण गिर गया पेड़ गिरने के कारण मजदूर लगाकर पेड़ को हटाया गया था। हमने खेजड़ी के

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी

Scanned by CamScanner

पेड़ को नही काटा बल्कि आंधी की वजय से स्वयं गिर गया था। इस खेजड़ी के पेड़ के पास एक टाली की छोटी पतली टहनी थी जो ऊपर से गुजरते विद्युत तारों से टच होती थी व लाईट में कभी कभार फाल्ट आ जाता था जिस कारण उस टहनी को हटाया गया था। हमारे खिलाफ रंजिश वश शिकायत की गई है। हमारे द्वारा कोई पेड़ नही काटे गये है।

हमारे द्वारा राजपैरोकार व प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को सुना गया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, वाद पत्र/प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र आदि का अवलोकन किया गया। तहसीलदार हनुमानगढ के समक्ष अखिल भारतीय जीव रक्षा बिश्नोई सभा की और से शिकायत प्रस्तुत होने पर तहसीलदार द्वारा मौका जांच की गई। मुताबिक फर्द रिपोर्ट व रिपोर्ट गिरदावर हल्का तथा मौका के चित्र आदि के अवलोकन से पेड़ो के मौका पर अवशेष मिलना तथा हंसराज पुत्र मनीराम को सुपुर्दगी पर दिया जाना साबित हो रहा है किन्तु अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में खेजड़ी के पुराने पेड़ को आंधी से गिरना बताया है व टाली की छोटी पतली टहनी को विद्युत तारो के टच होने से हटाना स्वीकार किया है।

तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से एक पेड़ खेजडी व एक पेड़ टाली का काटा जाना साबित हो रहा है तथा फर्द मौका पर पेडो के अवशेषो का बिना स्वीकृति पेड़ कटाई मानकर सुपुर्दगी पर दिये गये जिसका नियमानुसार निस्तारण अन्तर्गत धारा 86 आर टी ए के तहत प्रार्थना पत्र कार्यवाही हेतु तहसीलदार हनुमानगढ से प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 86 के तहत प्रति पेड़ 100 रू. जुर्माना व जप्त शुदा अवशेषो की निलामी से प्राप्त राशि राजकोष में जमा का प्रावधान है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थीगण को प्रति पेड़ 100—100/—के अर्थदण्ड से यानि 200 रूपये अर्थ दण्ड से दण्ड़ित किया जाता है तथा बहक सरकार पेडो के अवशेषो को नियमानुसार निलामी करवाकर प्राप्त राशि राजकोष में जमा करवाने हेतु तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है। अप्रार्थीगण जुर्माना राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत करेगे तथा तहसीलदार हनुमानगढ निलामी कार्यवाही आगामी 07 दिवस में पूर्ण कर न्यायालय को अवगत करायेगे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखित दप्तर की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 01.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.23 13:26:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: